न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः—श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्याः—31/2020

बउनवानः—

1. अब्दुल अजीज दत्तक पुत्र मोहम्मद इब्राहीम जाति मुसलमान निवासी बुनकर कोलोनी वार्ड नं. 12 मांगरोल ..... प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. आमना खातून पत्नि अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी नहर से आगे पेट्रोल पम्प के पास बारा रोड मांगरोल
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0) ....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

वकील प्रार्थीः— श्री कर्मवीर शर्मा

वकील अप्रार्थी क.सं. 1 :— श्री महेन्द्र सिंह हाडा

वकील अप्रार्थी क.सं. 2:— सरकारी पेरोकार

निर्णय दिनांकः—09.02.2022

दायरा दिनांकः— 20.10.2020

प्रार्थी अब्दुल अजीज ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट पेश करके उस वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट पेश करके निवेदन किया कि प्रार्थी कस्बा मांगरोल का स्थायी निवासी है। पुश्तैनी भूमि खाता संख्या 25 वाके माल मांगरोल खसरा नं. 4497 रकबा 0.57 है0, खसरा नं. 4498/4985 रकबा 0.10 है0, खसरा नं. 4499 रकबा 0.28 है0 किता 3 रकबा 0.95 है0 पर काश्त कार्य कर परिवार का पालन करता है। और प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 1 की कृषि भूमि खसरा नं. 4499/4710 रकबा 0.10 है0, खसरा नं. 4506 रकबा 1.32 है0 किता 2 रकबा 1.42 है0 मे स्थित है और खसरा नं. 4499 रकबा 0.28 है0 और खसरा नं. 4499/4710 रकबा 0.10 है0 जो आपस मे मिली हुई है। जिनके बीच बंजर होने के कारण कभी मेड बन्दी नही हुई है।

प्रार्थी व अप्रार्थी कम 1 के मध्य 1994 मे मेडबन्दी को लेकर विवाद हुआ। विवाद के सामधान के लिए अप्रार्थी कम 1 के द्वारा अप्रार्थी कम 2 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर संज्ञान लेते हुए अप्रार्थी कम 2 के आदेश कमांक भू0अ0/9415 दिनांक 17.07.1994 की पालना हेतु दोनो पक्षो मे समझोता करवा गया कि खसरा नं. 4499/4790 की पूर्वी सडक की तरफ से 200 वर्ग मीटर भूमि ट्यूबवेल के लिये छोडी गई जो प्रार्थी के दत्तक ग्रहिता अब्दुल रजाक पुत्र यासीन मुसलमान के खेत खसरा नं. 4499 मे मिली रहेगी तथा खसरा नं. 4499 की 300 वर्ग मीटर भूमि पश्चिमी तरफ की अब्दुल रजाक अप्रार्थी कम 1 के खेत मे मिलाई गई। इस समझोता का अंकन आज दिनांक तक राजस्व रेकार्ड मे अंकन नही हुआ है।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी कम 1 अब बदनियति पूर्वक प्रार्थी की ट्यूबवेल लगी खसरा नं. 4499/4710 की 200 मीटर भूमि पर राजस्व रेकार्ड के आधार पर अवैध कब्जा कर लाठी के बल पर प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। जिसके लिये अप्रार्थी कम 1 ने खेत पर डेरा डाल दिया है। इसलिए अप्रार्थी कम 1 को ताफैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है जिसका प्रार्थी कानूनन अधिकारी व नालिसी है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करके निवेदन है कि पर्चा व सीमाज्ञान अप्रार्थी 2 के आदेश दिनांक 17.07.1994 कमांक भू0अ0/4415 जिसकी पालना मे पूर्ण सहमति से किये गये समझोते के आधार पर मोंके पर मोजूद यथास्थिति को बनाये रखने को अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमावें। मांगरोल पुलिस को पालना हेतु लिखा जावें।

इस आश्य का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी कम 1 ने न्यायालय मे जर्ये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेष करके निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 मे आराजी का रिकार्ड अनुसार खातेदार होना स्वीकार है, शेष मद अस्वीकार है। खसरा नं. 4499 एवं खसरा नं. 4499/4710 के मध्य कोई बजंर भूमि नही है।

प्रार्थना पत्र की मद नं. 02 अस्वीकार है। क्योकि बंजर भूमि का कोई तो खसरा नं होना चाहिए जो नही है। उक्त भूमि खसरा नं. 449/4710 रकबा 0.10 है0 ही है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 03 जानकारी के अभाव मे स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 04 स्वीकार नही है क्योकि सीमाज्ञान दिनांक 17.07.1994 अप्रार्थीयां कम 1 मौके पर गई थी परन्तु सीमाज्ञान के पर्चे पर अप्रार्थी कम 1 के हस्ताक्षर नही है।

प्रार्थना पत्र की मद नं. 5 स्वीकार नही है क्योकि अप्रार्थीयां कम 1 के पास कोई असत्य इकरार नामा नही हैं। प्रार्थना पत्र की मद नं. 06 मनगढंत, असत्य होने से स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 7 अस्वीकार है क्योकि अप्रार्थी कम 1 अपनी खातेदारी की आराजी लेती है तो यह उसका विधिक अधिकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 8 स्वीकार नही है क्योकि प्रार्थी ने बलपूर्वक धोखे से छल कर अप्रार्थीया कम 1 की आराजी पर कब्जा कर लिया है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 9 स्वीकार नही है क्योकि आराजी खसरा नं. 4499/4710 अप्रार्थीया कम 1 की खातेदारी की आराजी है बंजर भूमि नही है। सीमाज्ञान व समझोता दिनांक 17.07.1994 पर अप्रार्थीया कम 1 की गैर मौजूदगी मे किया गया है जिसपर अप्रार्थीया कम 1 के हस्ताक्षर भी नही है। प्रार्थना प्रार्थी अस्वीकार है।

विशेष आपत्तियां– समझौता व सीमाज्ञान दिनांक 17.07.1994 की पालना करवाना चाहता है जिसके लिए इस सम्मानीय न्यायालय को कोई क्षैत्राधिकार प्राप्त नही है इस लिए प्रथम दृष्टया ही वाद खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थीया कम 1 आराजी की रिकॉर्डेड खातेदार है और रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। और न्यायालय मे प्रार्थना कि कि प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई प्रस्तुत दस्तावेजों राजस्व रिकार्ड व पेश किये गये न्यायिक दृष्टान्तों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभय पक्षों ने अपनी–अपनी बहस मे मुख्यतया उन्ही शब्दों को दौहराया है जो उन्होने अपने–अपने प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। एक बात से

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned with CamScanner

उभय पक्ष सहमत है कि आराजी खसरा नं. 4499/4710 रकबा 0.10 है0 वाके मांगरोल तहसील मांगरोल की रिकॉर्डेड खातेदार अप्रार्थीयां कम 1 आमना खातून है, जिसका उल्लेख रिपोर्ट पटवार मण्डल मांगरोल दिनांक 12.06.1994 व दिनांक 17.07.1994 मे हो रहा है। प्रार्थी के पूर्व खातेदार ने खसरा नं. 4499/4710 रकबा 0.10 है0 के भू–भाग पर बलपूर्वक बदनियति से ट्यूबवेल खुदवाली और अब न्यायालय से अप्रार्थीयां के खाते की आराजी पर स्थगन आदेश वास्ते प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि सर्वथा कानून के मूल–भूत सिद्धान्तों के विरूद्ध है। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस मे बताया कि वकील प्रार्थी ने सीमाज्ञान आदेश दिनांक 17.07.1994 की पालना करवाने वास्ते अप्रार्थीयां को पाबन्द करने वास्ते निवेदन किया और यथास्थिति बनाये रखने की बहस की तथा उभयपक्ष ने उन सब तथ्यों को अपनी बहस मे दोहराया कि जो उन्होने अपने–अपने प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र मे कथन किये है।

अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न तीन बिन्दुओं को देखना होता है–(1)प्रथम दृष्टया मामला (2)सुविधा का संतुलन (3)अपूर्णनीय क्षति

(1) प्रथम दृष्टया मामला:–प्रार्थना पत्र प्रार्थी व जवाब अप्रार्थी कम 1 से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नं. 4499/4710 रकबा 0.10 है0 वाके मांगरोल मे है। यह आराजी अप्रार्थीया कम 1 की खातेदारी की आराजी है। इस बात मे वकील प्रार्थी भी सहमत है कि खसरा नं. 4499/4710 रकबा 0.10 है0 भूमि आमना खातून जौजे अब्दुल अजीज के खाते की आराजी है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि खसरा नं. 4499/4710 की आराजी प्रार्थी की खाते की आराजी खसरा नं. 4499 रकबा 0.28 है0 आपस मे मिला हुआ है। इसके मध्य बंजर आराजी है। उस बंजर भूमि को कृषि योग्य करवाकर एक ट्यूबवेल पूर्व खातेदार अब्दुल रजाक ने खुदवा लिया, जबकि वकील अप्रार्थीयां कम 1 ने बहस मे बताया कि खसरा नं. 4499 व खसरा नं. 4499/4710 का रकबा आपस मे मिला हुआ है तो मध्य मे बंजर भूमि कहा से आयेगी। आगे बहस मे बताया कि प्रार्थी ने बलपूर्वक अप्रार्थीयां की आराजी पर ट्यूबवेल खुदवा लिया और अब उस ट्यूबवेल की आराजी पर आने–जाने से रोकने के लिए ही अस्थायी निषेधाज्ञा अप्रार्थी के विरूद्ध चाही जा रही है। जबकि अप्रार्थीया कम 1 आराजी की रिकॉर्डेड खातेदार है। वकील अप्रार्थीया कम 1 अपनी बहस मे बताया कि किसी भी इकरारनामा का पर्चा मौका सीमाज्ञान की पालना करवाने का क्षैत्राधिकार दिवानी न्यायालय को प्राप्त है। जिसके लिए संविदा के विशिष्ठ अनुपालना के लिए अधिनियम 1963 बना हुआ है। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 2007 पेज 261, पेज 438, व आरआरडी 2006 पेज 2006 पेश करके न्यायालय को बताया कि प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के अनुसार रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। यहॉ तक लिखा है कि अन रजिस्ट्रर्ड इकरारनामा या अन्य कोई बैचान नामा भी प्रार्थी के पास हो तो भी रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। उन दस्तावेजों को मूल वाद मे देखा जावेगा कि वाद पर क्या प्रभाव पडता है।

न्यायालय के मत मे वकील प्रार्थी भी अप्रार्थीयां कम 1 को आराजी खसरा नं. 4499/4710 रकबा 0.10 है0 की रिकॉर्डेड खातेदार मानता है। राजस्व रिकार्ड भी जमाबन्दी मे भी इस खसरा नं. की खातेदार अप्रार्थीया कम 1 आमना खातून हे तथा पर्चा मौका सीमाज्ञान ग्राम मांगरोल दिनांक 17.07.1994 मे ही हल्का पटवारी व कानूनगों ने खसरा नं. 4499/4710 रकबा 0.10 है0 का खातेदार अप्रार्थीयां कम 1 को माना है। इस पर्चा सीमाज्ञान पर आमना खातून के कही पर भी हस्ताक्षर नही है। वकील अप्रार्थी ने बताया कि सीमाज्ञान समझोता नही हुआ है और सीमाज्ञान में भी आराजी ट्यूबवेल वाली भूमि अप्रार्थीयां कम 1 की है।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारॉ (राज०)

Scanned with CamScanner